निविदा के निर्देश एवं मार्गदर्शक सूचनाऐं

निविदाकार , संचालनालय पशुपालन, मध्यप्रदेश द्वारा प्रकाशित 1962 चलित पशु कल्याण सेवा के सर्विस लेवल एग्रीमेंट की शर्ते (अवधारणा पत्र), अनुबंध पत्र, निविदा सूचना तथा निम्नलिखित निर्देशों को भलीभांति पढ़ने एवं समझने के बाद ही निविदा फार्म भरें । उपरोक्त सभी अभिलेख तथा निम्नलिखित सूचनाएँ निविदा स्वीकृति की स्थिति में निष्पादित किए जाने वाले अनुबंध के भाग माने जाऐंगे ।

1. निविदा भरने के पूर्व निविदाकार स्वतः नियमानुसार सुनिश्चित कर लेंः–

1.1 निविदा ऑन लाईन दो लिफाफों. लिफाफा ए (EnvelopeA) एवं लिफाफा सी(Envelope C)में भरनी होगी। लिफाफा ए में ईएमडी एवं अन्य दस्तावेंज, लिफाफा सी में फायनेंनशियल बिड ऑनलाईन भरनी होगी। निविदा संचालक, पशुपालन द्वारा गठित समिति के समक्ष ऑनलाईन खोली जाएगी।

1.2 ऑनलाईन में यदि फर्म तकनीकी विड में सफल पाई जाती है, तभी उसकी वित्तीय विड (Financial Bid) खोली जाएगी ।

1.3 वित्तीय विड (Financial Bid) पर किसी तरह की कांट–छॅाट अथवा ओवरराइटिंग नहीं होना चाहिए अन्यथा निविदा को निरस्त माना जाएगा ।

1.4 सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी।

1.5 किसी भी निविदाकार की निविदा को बिना कारण बताए अमान्य करने का अधिकार संचालक, पशुपालन मध्यप्रदेश को होगा।

1.6 संचालक, पशुपालन को यह अधिकार भी होगा कि वे विशेष परिस्थितियों में निविदा की शर्तो/नियमों/प्रावधानों/अनुबंध पत्र की शर्तों में किसी भी समय परिवर्तन कर सकेंगे ।

1.7 असफल निविदाकरों की धरोहर राशि की एफ.डी.आर. निविदा खुलने के एक माह पश्चात् से वापस किया जाना प्रारंभ किया जावेगा।

1.8 निविदाकार एक से अधिक जिलों हेतु भी दरें प्रस्तुत कर सकते है। एक से अधिक जिलों की दरें प्रस्तुत करने पर पृथक–पृथक जिलों हेतु पृथक–पृथक एग्रीमेंट बोंड (Agreement Bond) प्रस्तुत करना होगा। साथ ही ईएमडी (घरोहर राशि) भी पृथक–पृथक प्रस्तुत करनी होगी।

2. निविदा फार्म कैसे भरें

2.1 निविदाकार द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेज पठनीय होने चाहिए। यदि दस्तावेज पठनीय नहीं होगें तो निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।

2.2 वित्तीय विड विवरण लिफाफा सी (Envelop C) में दरे अंकों एवं शब्दों में भरी जानी चाहिए।यदि अंको एवं शब्दों में भिन्नता पाई जाती है तो अंको में लिखी गई राशि मान्य होगी।

2.3 निविदाकार अपेक्षित संपूर्ण विवरण स्पष्ट रूप से दें तथा प्रत्येक खाना भरें। जहॉ पर वांछित हो संबंधित दस्तावेज अपलोड करें ।

3. धरोहर राशि

3.1 जिन जिलों के लिए निविदा भरी जा रही है उन जिलों के प्रत्येक विकास खण्ड के लिए रू. 10,000/–(रू. दस हजार) के मान से गणना करते हुए कुल राशि की 01 एफ.डी.आर. (को–आपरेटिव बैंक को छोडकर) संचालक, पशुपालन विभाग मध्यप्रदेश के नाम से प्रस्तुत की जाए।

3.2 यदि निविदाकार अपना निविदा फार्म प्रस्तुत करने के बाद सेवाएं देने से मुकर जाता है या अपना ऑफर वापस लेता है अथवा अपने ऑफर में कोई संशोधन करता है तो धरोहर राशि बिना किसी अन्य आदेश के स्वयं ही जप्त (Forfiet) हो जाएगी। ऐसी जप्ती की सूचना निविदाकार को पृथक से देना संचालनालय पशुपालन के लिए आवश्यक नहीं होगा।

3.3 निविदा स्वीकृति के आदेश विभागीय बेबसाईट(Website) www.mpdah.gov.inपर जारी किए जाएँगे अथवा पंजीकृत डाक के माध्यम से निविदाकार को भेजे जाएँगे। निविदाकार को, Websiteपर जानकारी आने/जारी पत्र के दिनांक से 10 दिवस की अवधि के अन्दर संबंधित जिले के उपसंचालक से अनुबंध करना होगा एवं रू. 1,00,000/– (रू एक लाख मात्र) की प्रति विकास खण्ड के मान से एफ.डी.आर./बैंक गारण्टी जमा करना आवश्यक होगा। अनुबंध करने में असफल होने की स्थिति में रू. 10,000/–(रू. दसहजार मात्र) की धरोहर राशि जप्त कर ली जाएगी। ऐसी जप्ती की सूचना निविदाकार को पृथक से देना संचालनालय पशुपालन के लिए आवश्यक नहीं होगा।

3.4 निविदाकार को अनुबंध करने की तिथि से 10 दिवस के अंदर चलित पशु चिकित्सा इकाई का संचालन करना होगा । अपरिहार्य परिस्थितियों में संचालक द्वारा उक्त अवधि को बढाया जा सकताहै।

3.5 धरोहर राशि उपरोक्त कंडिका 3.2 तथा 3.3 को छोड़कर यथा संभव समस्त असफल निविदाकारों की निविदाओं पर विचार होने के बाद एक माह के पश्चात से वापस करना प्रारंभ की जाएगी। सफल निविदाकार की उक्त राशि का समायोजन सावधि जमा (एफ.डी.आर) में किया जाएगा।

4. सावधि जमा (एफ.डी.आर.)/बैंक गारण्टी

चयन होने की दशा में निविदाकार (द्वितीय पक्षकार) को इस सेवा के संचालन के संबंध में धरोहर के रूप में प्रथम पक्षकार के नाम से रू. 1,00,000/–(रू एक लाख) की एफ.डी.आर. (को–आपरेटिव बैंक को छोडकर)/बैंक गारण्टी के रूप में प्रति विकास खण्ड के मान से प्रस्तुत करना होगा। यह एफ.डी.आर./बैंक गारण्टी जितने समय के लिए अनुबंध किया जा रहा है के लिए वैध होना चाहिए।

5. वार्षिक सेवादार

निविदाकार निविदा फार्म के लिफाफा सी (Envelop C) में प्रतिस्पर्धात्मक वार्षिक सेवादर भरेंगे। दरें सम्पूर्ण जिले हेतु भरी जाना अनिवार्य है। निवादाकार को जिले के समस्त विकासखण्डों में

ईकाई का संचालन करना अनिवार्य होगा। **उक्त हेतु निविदाकार को वित्तीय शीट (Financial Sheet) पर प्रति विकासखण्ड की वार्षिक दर भरना होगी। उस जिले के समस्त विकासखण्डों की संख्या से उसका गुणा कर जिले की दर की गणना की जाएगी। दरें समस्त करों सहित प्रस्तुत की जाना अनिवार्य है। पृथक से किसी भी तरह के करो का भुगतान विभाग द्वारा नही किया जाएगा।**

6.सेवा उपलब्ध कराने का तरीका

प्रदेश के 313 विकासखण्डों में निजी एजेंसी के माध्यम से अनुबंधित चलित पशु चिकित्सा इकाई का संचालन किया जाएगा। प्रत्येक चलित पशु चिकित्सा इकाई में एक वाहन,एक पैरावेट तथा एक विभागीय पशु चिकित्सक के माध्यम से पशु चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। **प्रत्येक चलित पशु चिकित्सा इकाई हेतु अनुबंधित संस्था द्वारा एक वाहन(वाहन चालक सहित) तथा एक पैरावेट (विभागीय प्रशिक्षित गौसेवक) की व्यवस्था की जाएगी।**

7. निविदा अवधि

अनुबंध की दिनांक से आगामी 02 वर्षों तक (संचालक, पशुपालन द्वारा बिना कारण बताये अवधि को कम किया जा सकता है)।

कार्य संतोषजनक होने पर संचालक पशुपालन निविदा अवधि में अधिकतम 01 वर्ष की वृद्धि कर सकते है।

8. दर निर्धारण

निविदाकार को वाहन (वाहन चालक सहित), एक पैरावेट (विभागीय प्रशिक्षित गौसेवक)तथा प्रतिमाह 1800 किमी की दूरी तय करने हेतु डीजल व्यय को सम्मिलित करते हुए दर प्रस्तुत करनी है। प्रतिमाह 1800 किमी से अधिक दूरी तय करने पर प्रतिकिमी (अधिकतम 500 किमी अतिरिक्त) राशि रु. 06.00 के मान से पृथक से भुगतान किया जाएगा। वाहन नवीन होना चाहिए। शासन की अपेक्षा के अनुरुप वाहन की साज सज्जा, उपकरणों की व्यवस्था एवं वाहन के बाहर जानकारी का प्रदर्शन अनुबधित संस्था के द्वारा किया जाएगा। प्रत्येक चलित पशु चिकित्सा इकाई हेतु एजेंसी का चयन निविदा के आधार पर किया जाएगा। घर पहुॅच पशु उपचार सुविधा विभागीय पशु चिकित्सकों एवं सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी साथ ही पशु उपचार हेतु आवश्यक पशु औषधि भी विभाग द्वारा ही उपलब्ध कराई जाएगी।

- **संस्था के पास जी.एस.टी पंजीयन होना अनिवार्य है।**
- **योजना अनुसार अधिकतम कुल इकाई लागत राशि रू. 4.56 लाख वार्षिक प्रति विकासखण्ड़ समस्त कर सहित निर्धारित है। अतः इससे अधिक की दरें प्रस्तुत करने पर दर पर विचार नहीं किया जाएगा।**
- **एक से अधिक निविदाकारों द्वारा समान दरें प्रस्तुत करने पर लाटरी पद्धिति द्वारा चयन किया जाएगा।**

9. निविदा फार्म के साथ अनिवार्य संलग्न किए जाने वाले अभिलेख / सहपत्र (लिफाफा क्रमांक 1 के साथ संलग्न किये जायें)

1- Abstract Information Regarding Tenderer (Original)
2- Earnest Money Deposit (Original)
3- Agreement Bond Notrized on Non Judicial Stamp of Rs 100 (Original)
4- Terms & Conditions (Original)
5- Declaration-1(Original)
6- Declaration-2 (Original)
7- PAN No. (self attested photocopy)
8- GST No. (Self Attested)
9- Firm Registration(self attested photocopy)
10- Income Tax Return 2015-16 (Assessment Year 16-17) and Income Tax Return 2016-17 (Assessment Year 17-18) or Income tax clearance certificate issued by concerning authorities, which is valid till the date of submmission or after (self attested photocopy)

उपरोक्त सभी दस्तावेज ऑनलाईन अपलोड करें एवं कंडिका 9 में उल्लेखित **अभिलेख / सहपत्र**एक फाईल में इन्डेक्स एवं पेज नम्बर के साथ दिनांक **08.08.2018** तक संचालनालयपशुपालन में प्रस्तुत करें ।निविदाकार द्वारा निविदा प्रस्तुत करने का यह अभिप्राय माना जायेगा कि निविदाकार ने निविदा की सभी शर्ते, नियम तथा सेवाओं का विवरण भलीभांति पढ़ लिया है एवं समझ लिया है और उन्हें स्वीकार कर लिया है। अतः निविदाकारों से अनुरोध है कि वे समस्त जानकारी समझकर पूर्ण संतुष्टि पश्चात् ही प्रतिस्पर्धात्मक सेवा दरें भरें।

संचालक
पशुपालन मध्यप्रदेश

नमूना प्रति

सर्विस लेवल एग्रीमेंट की शर्तें। (अवधारणा पत्र)

1962 चलित पशु कल्याण सेवा संचालन हेतु आवश्यक अर्हता एवं प्रदाय की जाने वाली सेवाओ का विवरण

सेवा उपलब्ध कराने का तरीका

प्रदेश के 313 विकासखण्डों में निजी एजेंसी के माध्यम से अनुबंधित चलित पशु चिकित्सा इकाई का संचालन किया जाएगा। प्रत्येक चलित पशु चिकित्सा इकाई में एक वाहन,एक पैरावेट तथा एक विभागीय पशु चिकित्सक के माध्यम से पशु चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।प्रत्येक चलित पशु चिकित्सा इकाई हेतु अनुबंधित संस्था द्वारा एक वाहन (वाहन चालक सहित) तथा एक पैरावेट (विभागीय प्रशिक्षित गौसेवक) की व्यवस्था की जाएगी।

निविदाकार को वाहन (वाहन चालक सहित), एक पैरावेट (विभागीय प्रशिक्षित गौसेवक)तथा प्रतिमाह 1800 किमी की दूरी तय करने हेतु डीजल व्यय को सम्मिलित करते हुए दर प्रस्तुत करनी है। प्रतिमाह 1800 किमी से अधिक दूरी तय करने पर प्रतिकिमी (अधिकतम 500 किमी अतिरिक्त) राशि रु. 06.00 के मान से पृथक से भुगतान किया जाएगा। वाहन नवीन होना चाहिए। शासन की अपेक्षा के अनुरुप वाहन की साज सज्जा, उपकरणों की व्यवस्था एवं वाहन के बाहर जानकारी का प्रदर्शन अनुबधित संस्था के द्वारा किया जाएगा। प्रत्येक चलित पशु चिकित्सा इकाई हेतु एजेंसी का चयन निविदा के आधार पर किया जाएगा। घर पहुँच पशु उपचार सुविधा विभागीय पशु चिकित्सकों एवं सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी साथ ही पशु उपचार हेतु आवश्यक पशु औषधि भी विभाग द्वारा ही उपलब्ध कराई जाएगी।

- **संस्था के पास जी.एस.टी पंजीयन होना अनिवार्य है।**
- **योजना अनुसार अधिकतम कुल इकाई लागत राशि रू. 4.56 लाख वार्षिक प्रति विकासखण्ड़ समस्त कर सहित निर्धारित है। अतः इससे अधिक की दरें प्रस्तुत करने पर दर पर विचार नहीं किया जाएगा।**
- **एक से अधिक निविदाकारों द्वारा समान दरें प्रस्तुत करने पर लाटरी पद्धिति द्वारा चयन किया जाएगा।**

संस्था द्वारा चल पशु कल्याण सेवा योजना अंतर्गतसम्पूर्ण माह में (30/31दिन) सेवायें प्रदान करना होगा। माह में जिस दिन भी वाहन या सहायक उपलब्ध नहीं रहेगा अथवा किसी भी अन्य कारण से संस्था द्वारा वाहन का संचालन नही किया जाएगा तो उस दिन का सेवा शुल्क रू. 2000/– का कटोत्रा मासिक भुगतान से किया जावेगा।

संस्था द्वारा प्रति माह की 3 तारीख तक वाहन लांगबुक संबंधित वाहन प्रभारी (शासकीय अधिकारी/कर्मचारी) से सत्यापित करवा कर उपसंचालक को प्रस्तुत करना होगा। जिस आधार पर माह का भुगतान किया जावेगा। संस्था द्वारा प्रस्तुत वार्षिक ऑफर में वर्णित वार्षिक राशि का 1/12 भाग प्रति माह में देय होगा।

संस्था वाहन चालक एवं पेरावेटके साथ ऐसा अनुबंध सुनिश्चित करें कि वे कम से कम दो माह का नोटिस देकर अपनी सेवायें समाप्त कर सके ताकि समयावधि में नए वाहन चालक एवं पेरावेट का चयन कर सके।वाहन चालक एवं पेरावेट द्वारा अपनी सेवायें समाप्त करने के फलस्वरूप यदि इकाई के संचालन में व्यवधान होता है तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी संस्था की होगी एवं संस्था से नियमानुसार शुल्क की कटौती की जाएगी।

अभिलेख

संस्था द्वाराप्रति माहवाहन लांगबुक संबंधित वाहन प्रभारी (शासकीय अधिकारी/कर्मचारी) से सत्यापित करवा कर उपसंचालक को प्रस्तुत करना होगा। वाहन प्रभारी अधिकारी/कर्मचारी संचालक द्वारा निर्धारित प्रारूप में अभिलेखों का संधारण करेगा।

मानीटरिंग

मॉनिटरिंग जिला उप संचालक, संभागीय सॅयुक्त संचालक पशु चिकित्सा सेवाऐं एवं विभागीय कॉल सेन्टर के माध्यम से किए गए कार्यों की मॉनीटरिंग की जाएगी।

संचालक
पशुपालनमध्यप्रदेश

नमूना प्रति

अनुबंधपत्र

:: अनुबंध पत्र ::

प्रथम पक्षकार :मध्यप्रदेश शासन द्वारा उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवाऐं, जिला ....

द्वितीय पक्षकार : .... (चयनित संस्था का नाम)

यह अनुबंध मध्यप्रदेश शासन की ओर से प्राधिकृत प्राधिकारी उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवाऐं, जिला .... द्वारा जिले के समस्त विकास खण्डों में चलित पशु कल्याण सेवा के संचालन के संबंध में (चयनित संस्था)..से दिनांक .... को (स्थान का नाम) में निष्पादित किया गया।

द्वितीय पक्षकार जिला .... में निम्न सेवायें उपलब्ध करायेगा

1. प्रत्येक चलित पशु चिकित्सा इकाई में एक वाहन(वाहन चालक सहित) एक पैरावेट (विभागीय प्रशिक्षित गौसेवक) तथा एक विभागीय पशु चिकित्सक के माध्यम से पशु चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। प्रत्येक चलित पशु चिकित्सा इकाई हेतु अनुबंधित संस्था द्वारा एक वाहन तथा एक पैरावेट की व्यवस्था की जाएगी। वाहन की दर वाहन चालक तथा प्रतिमाह 1800 किमी की दूरी तय करने हेतु डीजल व्यय को सम्मिलित करते हुए निर्धारित की जाएगी। प्रतिमाह 1800 किमी से अधिक दूरी तय करने पर प्रतिकिमी (अधिकतम 500 किमी अतिरिक्त) राशि रु. 06.00 के मान से पृथक से भुगतान किया जाएगा। वाहन नवीन होना चाहिए। शासन की अपेक्षा के अनुरुप वाहन की साज सज्जा, उपकरणों की व्यवस्था एवं वाहन के बाहर जानकारी का प्रदर्शन अनुबधिंत संस्था के द्वारा किया जाएगा। प्रत्येक चलित पशु चिकित्सा इकाई हेतु एजेंसी का चयन निविदा के आधार पर किया जाएगा।

एक मोबाईल वाहन मय वाहन चालक एवं सहायक (विभागीय प्रशिक्षित गौसेवक)। यदि वाहन संस्था अथवा निविदाकर्ता के नाम से नहीं है तो संबंधित सँस्था को वाहन मालिक से कम से कम एक वर्ष का अनुबंध करना अनिवार्य होगा कि उक्त अवधि में वाहन का उपयोग केवल इस प्रयोजन के लिए ही किया जाएगा।

2. संस्था द्वारा 1962 चल पशु कल्याण सेवा योजना अंतर्गत सम्पूर्ण माह में (30/31 दिन) सेवायें प्रदान करना होगा। माह में जिस दिन भी वाहन या सहायक उपलब्ध नहीं रहेगा अथवा

नमूना प्रति

किसी भी अन्य कारण से संस्था द्वारा वाहन का संचालन नही किया जाएगा तो उस दिन का सेवा शुल्क रू. 2000/- का कटोत्रा मासिक भुगतान से किया जावेगा। इसके लिये पृथक से किसी नोटिस की आवश्यकता नहीं होगी।

3. यदि संस्था का अनुबंध किसी कारणवश जिले के उपसंचालक द्वारा समाप्त किया जाता है एवं संबंधित संस्था द्वारा अपील करने पर इकाई को पुनः चालू किया जाता है तो निलबंन अवधि का संस्था को कोई भी भुगतान नहीं किया जाएगा एवं निलबंन अवधि के दौरान ₹ 2000/- प्रति दिवस के मान से आगामी भुगतान में से कटौती की जाएगी।

4. यदि संस्था द्वारा अनुबंध समाप्त करने के विरूद्ध अपील नहीं की जाति है अथवा संस्था का अनुबंध अपील के बाद भी निरस्त किया जाता है तो ऐसी स्थिति में संबंधित संस्था की धरोहर राशि जप्त की जाएगी साथ ही अंतिम भुगतान से 50 प्रतिशत् की कटोती की जाएगी।

5 द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक सप्ताह में 7 दिन सेवायें प्रदान करनी होगी।

6. उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं के संबंध में द्वितीय पक्षकार द्वारा उन सभी अभिलेखों का संधारण किया जायेगा, जो प्रथम पक्षकार द्वारा नियत किये जायेंगे।

7. संस्था द्वाराप्रति माहकी 3 तारीख तक वाहन लांगबुक संबंधित वाहन प्रभारी (शासकीय अधिकारी/कर्मचारी) से सत्यापित करवा कर उपसंचालक को प्रस्तुत करना होगा। जिस आधार पर माह का भुगतान किया जावेगा। संस्था द्वारा प्रस्तुत वार्षिक ऑफर में वर्णित वार्षिक राशि का 1/12 भाग प्रति माह में देय होगा।

8. द्वितीय पक्षकार को मोबाईल वेटनरी यूनिट के वाहन पर सूचना का प्रदर्शन विभाग के निर्देशों के अनुरूप देना होगा।

9. द्वितीय पक्षकार द्वारा चलित पशु कल्याण सेवा के संचालन में उपयोग किये जाने वाले वाहन, एवं सहायक का विवरण पूर्व में ही प्रथम पक्षकार को देना होगा। इनमें होने वाले परिवर्तन की सूचना भी अग्रिम देना होगी।

10. द्वितीय पक्षकार अनुबंध अवधि में इस वाहन एवं सहायक का प्रथम पक्षकार की अनुमति के बिना किसी भी अन्य प्रकार की सेवाओं में उपयोग नहीं करेगा।

11. द्वितीय पक्षकार द्वारा नियोजित अमला कर्तव्य स्थल पर प्रथम पक्षकार द्वारा निर्धारित गणवेश एवं परिचय पत्र धारित करेगा।

12. द्वितीय पक्षकार से यह अनुबंध **आगामी दो वर्षो (अनुबंध दिनांक से)** की अवधि के लिये किया जा रहा है। संचालक, पशुपालन बिना कारण बताऐ उपरोक्त अवधि में कमी कर सकते है। कार्य संतोषजनक होने पर अनुबंध समाप्त होने के पश्चात् एक वर्ष तक की अवधि को बढाने का अधिकार संचालक पशु पालन को होगा।

13. संस्था द्वारा प्रदाय की जाने वाली सेवाओं के संबध में संस्था द्वारा प्रस्तुत वार्षिक ऑफर में वर्णित राशि का 1/12 भाग प्रतिमाह में देय होगा।

नमूना प्रति

14. यदि द्वितीय पक्षकार किसी भी कारण से लगातार 10 कार्यदिवस तक यदि किसी एक विकासखण्ड में भी सेवा प्रदान नहीं कर पाता है तो यह माना जायेगा कि उसे कार्य करने में रूचि शेष नहीं रही है और इसे अनुबंध का उल्लघंन मानते हुए अनुबंध समाप्त करने की कार्यवाही की जाएगी। इसके बाद अगले कार्यदिवस में यदि प्रथम पक्षकार उचित समझेगा तो किसी अन्य फर्म से सेवा प्रदान हेतु प्रावधानिक अनुबंध कर सकेगा और इस प्रावधानिक अनुबंध के कारण प्रथम पक्षकार को लगने वाली अतिरिक्त राशि द्वितीय पक्षकार से वसूली योग्य होगी।

15. प्रथम पक्षकार अनुबंध की शर्तो का उल्लंघन किए जाने पर द्वितीय पक्षकार को नोटिस देकर 7 दिवस में स्थिति स्पष्ट करने का अवसर देगा व स्पष्टीकरण को समाधानकारक न पाने पर द्वितीय पक्षकार के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए शासन के प्रतिनिधि के रूप में सक्षम होंगे।

16. अनुबंध की शर्तो का उल्लंघन करने पर द्वितीय पक्षकार के विरूद्ध प्रथम पक्षकार द्वारा जो निर्णय लिया जायेगा उसके संबंध में द्वितीय पक्षकार अपील संभागीय संयुक्त संचालक को 10 दिवस की अवधि में प्रस्तुत कर सकेगा। अपील पर संभागीय संयुक्त संचालक के निर्णय के विरूद्व द्वितीय पक्षकार चाहे तो पुनः 10 दिवस की अवधि में संचालक पशुपालन को अपील प्रस्तुत कर सकेगा।

17. उपरोक्त कंडिका 15 एवं 16 में वर्णित अवधि में द्वितीय पक्षकार द्वारा की गई सेवाओं को निलंबित माना जाएगा। निलंबन अवधि में प्रथम पक्षकार कोई प्रावधानिक अनुबंध अथवा सेवा को सुचारू रूप से बनाये रखने के लिये अन्य कोई तात्कालिक व्यवस्था करने के लिए स्वतंत्र होगा। इस व्यवस्था पर होने वाले अतिरिक्त व्यय की वसूली अनुपातिक रूप से द्वितीय पक्षकार से की जा सकेगी। निलंबन अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार किसी भी राशि को प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा।

18. अनुबंध के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई विवाद होने की स्थिति में विवाद जिला. भोपाल मध्यप्रदेश स्थिति न्यायालय में ही विचारणीय होगा।

19. द्वितीय प्रक्षकार को इस सेवा के संचालन के संबंध में धरोहर के रूप में प्रथम पक्षकार को ₹ 1,00,000 (एक लाख मात्र) प्रति विकासखण्ड के मान से **FDR/बैंक गांरटी** के रूप में (को–आपरेटिव बैंक को छोडकर) प्रस्तुत करना होगा।

20. अनुबंध की किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की दशा में द्वितीय पक्षकार से वसूल की जाने वाली राशि को उसे देय भुगतान अथवा एफ.डी.आर. से अथवा दोनों से समायोजित किया जा सकेगा।

21. संचालक, पशुपालन को यह अधिकार भी होगा कि वे विशेष परिस्थितियों में निविदा की शर्तो/नियमों/प्रावधानों/अनुबंध पत्र में संशोधन कर सकेंगे।

22. कोई भी पक्षकार (प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार) तीन माह की अग्रिम सूचना देकर इस अनुबंध को समाप्त कर सकता है।

23. उपरोक्त अनुबंध अनुसार यदि द्वितीय पक्षकार अनुबंध दिनांक से 10 दिवस में सेवा प्रारंभ नहीं करता है तो प्रथम प्रक्षकार को अनुबंध निरस्त करने का अधिकार होगा।

24. उक्त अनुबंध दोनों पक्षकारों के मध्य .... तक की समायावधि के लिए आज दिनांक .... को निष्पादित किया गया।

स्थान –

दिनांक –

हस्ताक्षर ....

(प्रथम पक्षकार)

हस्ताक्षर ....

(द्वितीय पक्षकार)

नमूना प्रति

DECLARATION-1

I/we hereby agree to undertake any risk involved in the investment of Rs.10,000.00 (Rs. Ten Thousand) per block as earnest money/security deposited with the tender ---dated------------------------------------of---

(Name of Bank)---in favour of the Director Animal Husbandry, Bhopal or his successor.

Signature of Tenderer
With seal & Date

नमूना प्रति

DECLARATION-2

A list showing the name of the persons who are working with the tenderer and are relatives of any Gazetted officer of Animal Husbandry Department M.P.

Sr. No	Name of persons working with tenderer	Name of the employee working in A.H. Deptt	Nature of relation	Remark

Signature of Tenderer
With seal & Date

नमूना प्रति

Check List

S.N	Documents	Yes/No
1.	Abstract Information Regarding Tenderer (Original)	Please upload scanned copy of Abstract Information Regarding Tenderer
2.	Earnest Money Deposit (Original)	Please upload scanned copy of Earnest Money Deposit (Original)
3.	Agreement Bond duly notarized (Original)	Please upload scanned copy of Agreement Bond duly notarized (Original)
4.	Terms & Conditions (Original)	Please upload scanned copy of Terms & Conditions (Original)
5.	Declaration-1(Original)	Please upload scanned copy of Declaration-1(Original)
6.	Declaration-2(Original)	Please upload scanned copy of Declaration-2(Original)
7.	PAN No.(self attested Photocopy)	Please upload scanned copy of PAN No.(self attested Photocopy)
8.	GST No.	Please upload scanned copy of GST No.(self attested Photocopy)
9.	Firm Registration	Please upload scanned copy of Firm Registration (self attested Photocopy)
10.	Income Tex Return 2015-16 (Assessment Year 16-17) and 16-17 (Assessment Year 17-18) or Income tax clearance certificate issued by concerning authorities, which is valid till the date of submmission or after (self attested Photocopy)	Upload scanned copy of Income Tex Return 2015-16 (Assessment Year 16-17) and 16-17 (Assessment Year 17-18) or Income tax clearance certificate issued by concerning authorities, which is valid till the date of submmission or after (self attested Photocopy)

AGREEMENT BOND

(TENDER FOR RUNNING MOBILE VETERINARY UNITS ON CONTRACT BASIS)

I/We hereby submit tender to the Governor of Madhya Pradesh, acting through the Director, Animal Husbandry, Madhya Pradesh, Bhopal (hereinafter called Governor of M.P.) for running mobile veterinary units on contract basis at the rates mentioned in the schedule of this memorandum in accordance with the terms and conditions.

I/we hereby agree to abide by and fulfill the terms and conditions of contract opened hereto, or in default, thereof to forfeit the security deposit, and pay to the said Governor of M.P. or his successors, the penalties of sum of the money mentioned in the said condition.

The sum of Rs 10,000.00 (Rs Ten Thousand) per block, for-------------- districts is forwarded herewith as earnest money, the full/part value of which is to be absolutely forfeited to the said Governor or his successors in the office in case I/we fail to provide services in accordance with terms and conditions mentioned in the contract

Witness--------------------

Address---------------------

Occupation-------------------

Signature of Tenderer

(Name------------------)

Date---------------

The above tender is hereby accepted by me on behalf of Governor of Madhya Pradesh, Dated------------------------------------20

DIRECTOR

Animal Husbandry Bhopal M.P.

NOTE- This agreement bond must be typed on Non-Judicial stamps worth Rs.100 (Rs. One Hundred only) and must be signed accordingly Notified.

नमूना प्रति

Abstract Information Regarding Tenderer

1 फर्म/संस्था का नाम ....

2. फर्म/संस्था के **Proprietor** का नाम ....

3. पत्राचार का पता ....

4. स्थाई पता.. ....

5. दूरभाष कमांक .... ई–मेल....................................

6. निविदाकर्ता के संबंध में आवश्यक अभिलेख ....

S.No.	**Documents**	**Yes/No**	**PageNo ....to......**
1	Abstract Information Regarding Tenderer (Original)		
2	Earnest Money Deposit (Original)		
3	Agreement Bond (Original)		
4	Terms & Conditions (Original)		
5	Declaration-1(Original)		
6	Declaration-2(Original)		
7	PAN No. (self attested Photocopy)		
8	GST No.		
9	Firm Registration		
10	Income Tex Return 2015-16 (Assessment Year 16-17) and 16-17 (Assessment Year 17-18) or Income tax clearance certificate issued by concerning authorities, which is valid till the date of submmission or after (self attested Photocopy)		

निविदाकर्ता का नाम, हस्ताक्षर एवं सील

<u>अभिवचन</u>

1.मेरे/हमारे द्वारा निविदा की सभी शर्तो/नियम का अध्ययन कर लिया गया है एवं मैं इनसे सहमत हूँ। 2. प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा निविदा में दी गई समस्त जानकारी सही है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि मेरा कोई भी रिश्तेदार पशु पालन विभाग में किसी भी पद पर कार्यरत नहीं है/ कार्यरत रिश्तेदारों की सूची <u>DECLARATION-2</u> **अनुसार है।**

निविदाकर्ता का नाम, हस्ताक्षर एवं सील

नमूना प्रति

निविदाकार द्वारा निविदा हेतु चयनित जिलों की सूची

स.क्र	जिले का नाम
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	
16.	
17.	
18.	
19.	
20.	
21.	
22.	
23.	
24.	
25.	
26.	
27.	
28.	
29.	
30.	
31.	
32.	
33.	
34.	
35.	
36.	

नमूना प्रति

स.क्र	जिले का नाम
37.	
38.	
39.	
40.	
41.	
42.	
43.	
44.	
45.	
46.	
47.	
48.	
49.	
50.	
51.	

टीप :– निविदाकार जितने जिलों में चलित इकाई संचालित करने हेतु दरें प्रस्तुत कर रहे है मात्र उन्हीं जिलों के नाम उपर दी गई तालिका में अंकित करें।

नमूना प्रति